न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर०ए०एस

मुकदमा नं० 9/2022

1. रमेश चौधरी पुत्र भीवाराम जाति जाट नि० भासिंहपुरा तह० जोबनेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

वनाम

1. गणेशराम पुत्र दूलाराम
2. भींवाराम पुत्र गणेशराम
3. भगवान सहाय पुत्र गणेशराम
   समस्त जाति जाट नि० भासिंहपुरा तह० जोबनेर जि० जयपुर।
4. भंवरीदेवी पुत्री गणेशराम पत्नि पोखरमल बाज्या जाति जाट नि० गुमानपुरा तह० जोबनेर जि० जयपुर।
5. सरजूदेवी पुत्री गणेशराम पत्नि नंदाराम भूखर जाति जाट नि० पहाडपुरा तह० कि०रेनवाल जि० जयपुर।
6. गीतादेवी पुत्री गणेशराम पत्नि नानूराम बाज्या जाति जाट नि० गुमानपुरा तह० जोबनेर जि० जयपुर।
7. मंजूदेवी पुत्री गणेशराम पत्नि लादूराम भूखर जाति जाट नि० पहाडपुरा तह० कि०रेनवाल जि० जयपुर।
8. नन्ची देवी पुत्री गणेशराम पत्नि चंदाराम घासल जाति जाट नि० [illegible] ढाणी, हिंगोनिया तह० जोबनेर जि० जयपुर।
9. अशोक कुमार पुत्र भीवाराम जाति जाट नि० भासिंहपुरा तह० जोबनेर जि० जयपुर।
10. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज०
11. सब रजिस्ट्रार सांभरलेक हाल जोबनेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी० एक्ट

उपस्थित :— 1. श्री सुरेन्द्र कुमार परिहार अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री हनुमान जाखड वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :— 29/08/2025

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया गया है कि वाकै ग्राम भासिंहपुरा पटवार हल्का ढीण्ढा भू०अभि०नि०क्षे० आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर की आराजी खाता सं०नया 22 पुराना 23 की आराजी खसरा नं. 24 रकबा 2.4531 है० किता एक कुल करबा 2. 4531 है० मे प्रतिवादी सं01 का 1/12 हिस्सा व 1/64 कुल (1/12+1/64=19/192 हिस्सा) है तथा खाता सं०नया 23 पुराना 24 की आराजी

ख0न0 54 रकबा 2.0231 है0 ख0न0 55 रकबा 1.3151 है0 ख0न0 56 रकबा 0.9990 है0 ख0न0 57 रकबा 0.0632 है0 किता 4 कुल रकबा 4.4005 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 1/12 हिस्सा है तथा आराजी खाता सं0 नया 24 पुराना 25 की आराजी ख0न0 478/1 रकबा 7.2709 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 1265/16848+1/96 हिस्सा है। इसी प्रकार आराजी खाता सं0 नया 25 व पुराना 26 की आराजी ख0न0 11 रकबा 17.3616 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 1/64 हिस्सा है तथा आराजी खाता सं0 नया 26 पुराना 27 की आराजी ख0न0 524/2 रकबा 1.6944 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 27/268 हिस्सा है तथा आराजी खाता सं0 नया 27 पुराना 28 की आराजी ख0न0 30/3 रकबा 1.2392 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 57/392 हिस्सा है। आराजी खाता सं0 नया 51 पुराना 50 की आराजी ख0न0 111 रकबा 0.6196 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 3/64 हिस्सा है तथा खाता संख्या नया 52 पुराना 51 की आराजी ख0न0 102 रकबा 0.0632 है0 आराजी ख0न0 103 रकबा 2.3267 है0 ख0न0 105 रकबा 0.8725 है0 ख0न0 106 रकबा 0.9448 है0 ख0न0 112 रकबा 0.9990 है0 ख0न0 113 रकबा 2.5922 है0 किता 7 कुल रकबा 8.0296 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 3/64 हिस्सा खाता सं0 नया 62 पुराना 62 की आराजी ख0न0 478/2 रकबा 0.0126 है0 ख0न0 478/3 रकबा 0.0126 है0 किता दो कुल रकबा 0.0252 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 43/288 हिस्सा है। खाता सं0 नया 121 पुराना 120 की आराजी ख0न0 114 रकबा 0.0506 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 1/192 हिस्सा है। इस प्रकार उक्त आराजीयात प्रतिवादी सं01 के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे उपरोक्त हिस्सो के अनुसार दर्ज चली आ रही है। जो उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी सं01ल09 की पुश्तैनी आराजीयात है जिसमे वादी व प्रतिवादी सं01ल09 संयुक्त रूप से काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आये है।

प्रतिवादी सं01 व प्रतिवादी सं02 व 3 आपस मे पिता व पुत्र है और प्रतिवादी सं01 लगा03 वादग्रस्त आराजीयात को अजनबी व्यक्तियो को बेचान करना चाहते है तथा वादी व प्रतिवादी सं09 को उनकी पुश्तैनी आराजीयात के हक व अधिकार की भूमि के हिस्से से वंचित करना चाहते है। इसी गरज से दिनांक 6/11/2022 को कुछ अजनबी व्यक्तियो को साथ लेकर आये और प्रतिवादी सं01 ने वादीग्रस्त आराजीयात मद नं02 मे वर्णित आराजीयात मे अपना सम्पूर्ण हक व हिस्से की भूमि को बेचान करने का सौदा किया तब वादी ने प्रतिवादी सं01ल03 ने वादी का धमकी दी कि वे सम्पूर्ण आराजीयात को बेचान करके वादी को उसके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल कर देगे और अजनबी व्यक्तियो को कब्जा करवा देगे। जिससे वादी को

अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादी सं01लगा03 पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दौराने वाद अप्रार्थी प्रतिवादी सं01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजी खाता सं0नया 22 पुराना 23 की आराजी खसरा नं. 24 रकबा 2.4531 है0 किता एक कुल करवा 2.4531 है0 तथा खाता सं0 नया 23 पुराना 24 की आराजी ख0न0 54 रकबा 2.0231 है0 ख0न0 55 रकबा 1.3151 है0 ख0न0 56 रकबा 0.9990 है0 ख0न0 57 रकबा 0.0632 है0 किता 4 कुल रकबा 4.4005 है0 तथा आराजी खाता सं0 नया 24 पुराना 25 की आराजी ख0न0 478/1 रकबा 7.2709 है0 इसी प्रकार आराजी खाता सं0 नया 25 व पुराना 26 की आराजी ख0न0 11 रकबा 17.3616 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 1/64 हिस्सा है तथा आराजी खाता सं0 नया 26 पुराना 27 की आराजी ख0न0 524/2 रकबा 1.6944 है0 तथा आराजी खाता सं0 नया 27 पुराना 28 की आराजी ख0न0 30/3 रकबा 1.2392 है0 तथा आराजी खाता सं0 नया 51 पुराना 50 की आराजी ख0न0 111 रकबा 0.6196 है0 खाता संख्या नया 52 पुराना 51 की आराजी ख0न0 102 रकबा 0.0632 है0 ख0न0 103 रकबा 2.3267 है0 ख0न0 104 रकबा 0.2276 है0 ख0न0 105 रकबा 0.8725 है0 ख0न0 106 रकबा 0.9448 है0 ख0न0 112 रकबा 0.9990 है0 ख0न0 113 रकबा 2.5922 है0 किता 7 कुल रकबा 8.0296 है0 व खाता सं0 नया 62 पुराना 62 की आराजी ख0न0 478/2 रकबा 0.0126 है0 ख0न0 478/3 रकबा 0.0126 है0 किता दो कुल रकबा 0.0252 है0 खाता सं0 नया 121 पुराना 120 की आराजी ख0न0 114 रकबा 0.0506 है0 वाकै ग्राम भासिंहपुरा पटवार हल्का ढीण्ढा भू0अभि0नि0क्षे0 आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे वादी को उसके हक हिस्से से बेदखल नही करे, न कब्जे काश्त मे व्यवधान उत्पन्न करे तथा ना ही उक्त आराजी को रहन बैय विक्रय, बेचान, हस्तांतरण,दान, वसीयत, हक त्याग इत्यादि से खुर्दबुर्द करे, ना ही राजस्व अभिलेखो मे परिवर्तन करवाये तथा वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 3 लगा0 8 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 2, 9, 10 एवं 11 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 8 द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। इस आशय का पेश किया गया है कि वादी प्रतिवादी सं01 लगा09 सयुक्त परिवार के सदस्य नही है

अलग अलग निवास कर रहे है तथा सिजरा खानदान जिस प्रकार वर्णित किया गया है सही है स्वीकार है। खाता सं0 22 23 24 25 26 27 51 52 62 व 121 मे प्रतिवादी सं01 के नाम दर्ज हिस्सा प्रतिवादी सं01 का स्वयं सम्पति है जिस पर प्रतिवादी सं01 काबिज काश्त है तथा खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी सं01 के हिस्से से वादी व प्रतिवादी सं02 लगा09 का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नही है तथा उक्त संपति पैतृक सम्पति नही है इसलिए उक्त संपति मे प्रतिवादी सं01 के जीवित रहते किसी प्रकार का वादी का कोई हक व हिस्सा नही है। वादी विवादग्रस्त पैतृक सम्पति नही है उक्त भूमि पर वादी किसी प्रकार का कानुन अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है इसलिए वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादी विवाग्रस्त भूमि जो प्रतिवादी सं01 की संपति है जिसमे वादी का किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही होता है यहॉ यह स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है कि विवादग्रस्त आराजी मे वादी के पिता भीवाराम को भी अभी किसी प्रकार के खातेदारी प्राप्त नही हुए है जबकि इसलिए वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादी प्रतिवादी स01 को उसकी आराजी से तथा उसके राजस्व मे दर्ज हिस्से से बेदखल करने की धमकी देता है तथा कब्जे काश्त करने मे दखल पैदा करता है इसलिए प्रतिवादी सं01 के द्वारा अपनी सम्पति की सुरक्षा बाबत यह काउण्टर क्लेम व अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व वादी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र काउण्टर अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है अप्रार्थी सं01 का जवाब प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर लिया जाकर प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खारिज फरमाने की कृपा करे तथा अप्रार्थी सं01 के द्वारा प्रस्तुत काउण्टर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रार्थी स्वीकार फरमाकार आदेश फरमाये की खाता सं0 22 23 24 25 26 27 51 52 62 व 121 मे अप्रार्थी सं01 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग मे मजामत नही करे तथा न ही अन्य से करवाये तथा दखलअंदाजी नही करे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी गयी। बहस वकील फरीकैन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

01 **प्रथम दृष्टया प्रकरण :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2078 विवादित आराजी खसरा नं. 24 रकबा 2.4531 है0 ख0न0 54 रकबा 2.0231 है0 ख0न0 55 रकबा 1.3151 है0 ख0न0 56 रकबा 0.9990 है0 ख0न0 57 रकबा 0.0632 है0 ख0न0 478/1 रकबा 7.2709 है0 ख0न0 11 रकबा 17.3616 है0 ख0न0 524/2 रकबा 1.6944 है0 ख0न0 30/3 रकबा 1.2392 है0 ख0न0 111 रकबा 0.6196 है0 ख0न0 102 रकबा 0.0632 है0 ख0न0 103 रकबा 2.3267 है0

खा0न0 104 रकबा 0.2276 है0 खा0न0 105 रकबा 0.8725 है0 खा0न0 106 रकबा 0.
9448 है0 खा0न0 112 रकबा 0.9990 है0 खा0न0 113 रकबा 2.5922 है0 खा0न0
478/2 रकबा 0.0126 है0 खा0न0 478/3 रकबा 0.0126 है0 खा0न0 114 रकबा 0.
0506 है0 वाके ग्राम भासिंहपुरा पटवार हल्का ढीण्ढा भू0अभि0नि0क्षे0 आसलपुर
तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी का कथन है कि वादी व प्रतिवादी
सं02 लगा0 09, प्रतिवादी सं01 के साथ काबिज काश्त होकर उसका उपभोग व
उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादी सं01 लगा0 03 उक्त सम्पूर्ण आराजीयात को
बेचान करके वादी व प्रतिवादी सं09 को उनके हक व अधिकार की उक्त पुश्तैनी
आराजीयात से महरूम करना चाहता है तथा उसमे कोई हक व हिस्सा नही देना
चाहता है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पुश्तैनी आराजीयात का बेचान कर दिया
जाता है, तो प्रार्थी को अपनी पुश्तैनी आराजीयात से वंचित होना पडेगा एवं भविष्य में
वाद बहुलता बढने से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 01 का कथन
है कि विवादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति नही है उक्त भूमि पर वादी किसी प्रकार का
कानुन अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है, परन्तु अप्रार्थी सं0 01 उक्त कथन
का सावित करने में प्रथम दृष्टया असफल रहा है तथा प्रार्थी अपने कथनों को सिद्ध
करने में प्रथम दृष्टया सफल रहे है। इसलिए अप्रार्थी सं0 1 को पाबंद निषेधाज्ञा
न्यायोचित है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी में निहित है।

02 **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि मुताबिक राजस्व
रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2078 विवादित आराजी खसरा नं. 24 रकबा 2.4531 है0
खा0न0 54 रकबा 2.0231 है0 खा0न0 55 रकबा 1.3151 है0 खा0न0 56 रकबा 0.9990
है0 खा0न0 57 रकबा 0.0632 है0 खा0न0 478/1 रकबा 7.2709 है0 खा0न0 11 रकबा
17.3616 है0 खा0न0 524/2 रकबा 1.6944 है0 खा0न0 30/3 रकबा 1.2392 है0
खा0न0 111 रकबा 0.6196 है0 खा0न0 102 रकबा 0.0632 है0 खा0न0 103 रकबा 2.
3267 है0 खा0न0 104 रकबा 0.2276 है0 खा0न0 105 रकबा 0.8725 है0 खा0न0 106
रकबा 0.9448 है0 खा0न0 112 रकबा 0.9990 है0 खा0न0 113 रकबा 2.5922 है0
खा0न0 478/2 रकबा 0.0126 है0 खा0न0 478/3 रकबा 0.0126 है0 खा0न0 114
रकबा 0.0506 है0 वाके ग्राम भासिंहपुरा पटवार हल्का ढीण्ढा भू0अभि0नि0क्षे0
आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त
आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी आराजीयात है। उक्त आराजीयात का बेचान करने पर प्रार्थी
को अपनी पुश्तैनी आराजीयात से वंचित होना पडेगा एवं भविष्य में वाद बहुलता बढने
से भी इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में असुविधा प्रार्थी को ही होगी।

इसलिये अप्रार्थी को पाबंद किया जाना उचित है। अतः असुविधा भी अप्रार्थी संख्या 1 की तुलना में प्रार्थी को होगी।

03 **अपूरणीय क्षति** :— प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी एवं में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। तथा अप्रार्थी संख्या 01 को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 24 रकबा 2.4531 है0 ख0न0 54 रकबा 2.0231 है0 ख0न0 55 रकबा 1.3151 है0 ख0न0 56 रकबा 0.9990 है0 ख0न0 57 रकबा 0.0632 है0 ख0न0 478/1 रकबा 7.2709 है0 ख0न0 11 रकबा 17.3616 है0 ख0न0 524/2 रकबा 1.6944 है0 ख0न0 30/3 रकबा 1.2392 है0 ख0न0 111 रकबा 0.6196 है0 ख0न0 102 रकबा 0.0632 है0 ख0न0 103 रकबा 2.3267 है0 ख0न0 104 रकबा 0.2276 है0 ख0न0 105 रकबा 0.8725 है0 ख0न0 106 रकबा 0.9448 है0 ख0न0 112 रकबा 0.9990 है0 ख0न0 113 रकबा 2.5922 है0 ख0न0 478/2 रकबा 0.0126 है0 ख0न0 478/3 रकबा 0.0126 है0 ख0न0 114 रकबा 0.0506 है0 वाके ग्राम भोसिंहपुरा पटवार हल्का ढीण्ढा भू0अभि0नि0क्षे0 आसलपुर तहसील जोबनेर के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नेहा राठी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर